



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1939 (श०)

(सं० पटना ७७७) पटना, मंगलवार, २४ अक्टूबर २०१७

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

२४ अक्टूबर २०१७

एस० ओ० २५५, दिनांक २४ अक्टूबर २०१७—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का बिहार अधिनियम १२) की धारा १२८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, २०१७ और सितम्बर, २०१७ मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-३ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करते हैं।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—२१/२०१७—३८६६)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

२४ अक्टूबर २०१७

एस०ओ० २५६, एस०ओ० २५५, दिनांक २४ अक्टूबर २०१७ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—२१/२०१७—३८६६)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

***The 24<sup>th</sup> October 2017***

S.O. 255, dated 24<sup>th</sup> October 2017— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August and September, 2017 by the due date.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3866)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 999-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>